न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/3387/2005/चित्तौड़गढ़

धापूबाई बेवा देवगिरी गोस्वामी निवासी रायता तहसील बेगू जिला चित्तौडगढ़।

....अपीलार्थी

बनाम

1– राज्य जरिये जिला कलक्टर, चित्तौडगढ़
2– तहसीलदार, बेगू।

....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री अयूब खान, अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत, उप राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

–

निर्णय

दिनांकः– 15–04–2019

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ़ द्वारा अपील सं0 193/2004 बउनवानी धापूबाई बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21–04–2005 के विरूद्ध मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने उपखण्ड अधिकारी, बेगू के न्यायालय में एक दावा बाबत् इस्तरारहक व हुक्म इम्तनाई दवामी का पेश कर निवेदन किया कि उसे विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि उनके कर्मचारी वादी को इस भूमि से बेदखल नहीं करें। उक्त वाद को विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगू ने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर विवाद्यक रचित किए। बाद सुनवाई विचारण

न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29–07–2004 द्वारा अपीलार्थी/वादिया का वाद खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 29–07–2004 द्वारा से अप्रन्न होकर प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के न्यायालय में पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21–04–2005 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

3– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय, नियम एवं विधिक प्रावधानों तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क था कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि पर वादिया का संवत् 2032 से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है, उस समय उक्त भूमि बिलानाम सरकार थी, जो काश्त के लिए उपलब्ध थी, जिस पर वादिया व उसके पति ने मिलकर पत्थरों की कोट बनाई व उसे सुधार कर,मेहनत कर कृषि योग्य बनाया, ऐसी स्थिति में वादिया विवादित भूमि की खातेदार काश्तकार होने की अधिकारिणी है। वह विधवा औरत होंकर भूमिहीन है, जिसके पास इस भूमि के अलावा और कोई भूमि नहीं है अगर उसे विवादित भूमि से बेदखल कर दिया गया तो वह अपने बच्चों का लालन पोषण कैसे करेगी। उनका तर्क था कि विवादित भूमि पर मुखालफाना कब्जा साबित होने की वजह से वह खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी है। विवादित भूमि को बिना किसी अधिकार के नामान्तरकरण सं0 129 द्वारा संवत् 2036 में प्रथम बार चरागाह दर्ज किया गया। उनका तर्क था कि विवादित भूमि सनत् 1986 में वादी की नसबन्दी करवाने की वजह से उसे यह भूमि पटवारी ने दी थी, क्योंकि वादी विवादित भूमि पर पूर्व में संवत् 2032 से ही काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है, अतः न्यायहित में द्वितीय अपील को स्वीकार किया जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें तथा

अपीलार्थी को विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया जावें।

5– योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयो ने तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ही तनकीवार निर्णय प्रदान किए है एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है, जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किए जाने का कोई उचित आधार नहीं है। अतः द्वितीय अपील खारिज की जावें।

6– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7– प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष दावा खातेदारी घोषणा का पेश कर निवेदन किया कि विवादित पर संवत् 2032 से लगातार उसका कब्जा काश्त चला आ रहा है। उस समय भूमि बिलानाम थी, जिस पर उसके पति व उसने मेहनत व धन खर्च कर उसके काबिल काश्त बनाया है, अतः उसे खातेदार घोषित किया जावें। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने तनकीवार निर्णय प्रदान करते हुए प्रत्येक तनकी वादिया के विरूद्ध निर्णित की है। हमारी सुविचारित राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने तथ्यों एवं विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए अपीलार्थी/वादिया का वाद अस्वीकार तथा उसे खातेदार घोषित किया जाना उचित नहीं समझा है, जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते है। द्वितीय अपील का क्षैत्र अत्यन्त सीमित है और इसके माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष में उस समय तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक वे अभिलेख के विपरीत न हों। वर्तमान द्वितीय अपील में हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं हुआ है। विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा इस आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः हम द्वितीय अपील को खारिज किया जाना उचित एवं विधिसम्मत समझते है।

8– उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21–04–2005 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य